रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22112025-267912
CG-MH-E-22112025-267912

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 755] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947
No. 755] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 21 नवम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/275.—बोर्ड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा ।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से तीसवें दिन लागू होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में,-

I. विनियम 24 में,

(1) उप-विनियम (1) में,

i. खंड (ख) में, शब्द “और” हट जाएगा;

ii. खंड (ग) में, चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न तथा शब्द “; और” आ जाएँगे;

iii. खंड (ग) के बाद, चिह्न, अक्षर तथा शब्द “(घ) कार्यकारी निदेशक (कार्यपालक निदेशक) ।” जोड़े जाएँगे ।

(2) उप-विनियम (7) में, शब्दों तथा चिह्न “प्रबंध निदेशक को गैर-स्वतंत्र निदेशकों के वर्ग में शामिल किया जाएगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) और कार्यकारी निदेशकों (कार्यपालक निदेशकों) को उन निदेशकों की श्रेणी (के वर्ग) में शामिल किया जाएगा, जो स्वतंत्र निदेशक न हों (जो गैर-स्वतंत्र निदेशक हों)” जोड़े जाएँगे;

II. विनियम 26 में,

(1) शीर्षक में, शब्दों “प्रबंध निदेशक की नियुक्ति” के बाद चिह्न तथा शब्द “, उसकी भूमिका और जिम्मेदारियाँ” जोड़े जाएँगे;

(2) उप-विनियम (4) में, खंड (ग) में, पहले परंतुक के बाद, निम्नलिखित दूसरा परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह और कि प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) को, निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के गवर्निंग बोर्ड (संचालन मंडल / शासी मंडल) की पूर्व-मंजूरी से:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत रजिस्टर किसी कंपनी के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डाइरेक्टर) के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;

ख) किसी असूचीगत (अनलिस्टिड) सरकारी कंपनी (जो कोई कारोबारी गतिविधि न कर रही हो) के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डाइरेक्टर) के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;

ग) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी सरकारी कंपनी या किसी सांविधिक निकाय (स्टैट्यूटरी बॉडी) द्वारा बनाई गई किसी शैक्षणिक संस्था के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य (जो गैर-कार्यकारी हो) के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा; या

घ) केन्द्रीय सरकार के किसी अधिनियम या राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत बनाए गए किसी विश्वविद्यालय के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य (जो गैर-कार्यकारी हो) के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा ।”

(3)उप-विनियम (7) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

“(8) प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ भी शामिल होंगी:

क) निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के समस्त कामकाज देखना;

ख) यह सुनिश्चित करना कि निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) समस्त लागू अधिनियमों, नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों का और उनके तहत समय-समय पर जारी किए जाने वाले परिपत्रों (सर्कुलर), दिशानिर्देशों या निदेशों का पालन करे;

ग) यह सुनिश्चित करना कि निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) की शाखा-1 और शाखा-2 के तहत किए जाने वाले कार्य (जिनका जिक्र इन विनियमों की चौथी अनुसूची में किया गया है) प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में और जनहित में किए जाएँ, और जो आमदनी करने के उद्देश्य से न किए जाएँ;

घ) वह निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के समग्र रूप से जोखिमों से निपटने (रिस्क मैनेजमेंट) के लिए जिम्मेदार रहेगा; और

ङ) यह सुनिश्चित करना कि निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के पास इतनी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ और व्यवस्थाएँ हों (इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर हो) कि उसका कामकाज हमेशा कारगर ढंग से चलता रहे।"

III. विनियम 26 के बाद और विनियम 27 से पहले निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"**कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति, उसकी भूमिका और जिम्मेदारियाँ**

26क. (1) प्रत्येक निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) प्रबंध मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजमेंट पर्सोनेल) के रूप में दो कार्यकारी निदेशकों को नियुक्त करेगा जो क्रमशः शाखा-1 और शाखा-2 के प्रमुख होंगे, और निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) [यदि चाहे तो] किसी कार्यकारी निदेशक को शाखा-3 के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि इन विनियमों की चौथी अनुसूची में जिक्र किया गया है।

(2) कार्यकारी निदेशकों का ओहदा प्रबंध निदेशक के ओहदे जैसा ही होगा।

(3) कार्यकारी निदेशकों को नियुक्त करने, उनकी नियुक्ति की अवधि बढ़ाने और उन्हें सेवा से हटाए जाने के मामले में वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो प्रबंध निदेशक के मामले में अपनाई जाती है [जिसका जिक्र इन विनियमों के विनियम 26 के उप-विनियम (1), उप-विनियम (2), उप-विनियम (4) के खंड (क) एवं खंड (ख), उप-विनियम (5) और उप-विनियम (6) में किया गया है], लेकिन इसके लिए बोर्ड से पहले ही मंजूरी लेनी होगी।

(4) कार्यकारी निदेशकों का कार्यकाल उतनी अवधि का होगा और उनकी अधिकतम आयु उतनी होगी, जितनी अवधि तथा आयु का जिक्र इन विनियमों के विनियम 26 के उप-विनियम (3) में प्रबंध निदेशक के लिए किया गया है।

(5) निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) का कार्यकारी निदेशक किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड में अपनी सेवाएँ नहीं देगा:

परंतु यह कि निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के कार्यकारी निदेशक को, निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के गवर्निंग बोर्ड की पूर्व-मंजूरी से, निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) की सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) के बोर्ड में नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) शाखा-1 और शाखा-2 के कार्यकारी निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ भी शामिल होंगी:

क) अपनी-अपनी शाखाओं से जुड़े समस्त कामकाज देखना;

ख) यह सुनिश्चित करना कि निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) में अपनी-अपनी शाखाओं के तहत किए जाने वाले कार्य प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में और जनहित में किए जाएँ, और जो आमदनी करने के उद्देश्य से न किए जाएँ;

ग) शाखा-1 के कार्यकारी निदेशक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि इतनी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ और व्यवस्थाएँ हों (इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर हो) कि निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) का कामकाज कारगर ढंग से चलता रहे; और

घ) शाखा-2 का कार्यकारी निदेशक निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के समग्र रूप से जोखिमों से निपटने (रिस्क मैनेजमेंट) के लिए जिम्मेदार रहेगा ।"

IV. विनियम 81क के बाद और विनियम 82 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"मुख्य तकनीक अधिकारी (चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर) की नियुक्ति, उसकी भूमिका और जिम्मेदारियाँ

81ख. (1) प्रत्येक निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) एक मुख्य तकनीक अधिकारी (चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर) नियुक्त करेगा, जो तकनीक से जुड़े पहलुओं, सिस्टम डिज़ाइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और कार्य-प्रक्रिया से जुड़े कामकाज देखने और उन पर नज़र रखने के लिए भी जिम्मेदार होगा ।

(2) मुख्य तकनीकी अधिकारी (चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ भी शामिल होंगी:

(क) आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी) से जुड़े सभी कार्यों के संबंध में जोखिमों से निपटने के सिलसिले में कदम उठाना;

(ख) आई.टी. के संबंध में नीति निर्धारित करना और आई.टी. से जुड़े कार्यों के संबंध में जोखिमों से निपटने हेतु एक व्यवस्था निर्धारित करना; और

(ग) टेक्नोलॉजी ऑडिट करने के बाद की गई टिप्पणियों के अनुसार कमियों को दूर करना और व्यवस्था को दुरुस्त करना ।

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्यूरिटी ऑफिसर) की नियुक्ति, उसकी भूमिका और जिम्मेदारियाँ

81ग. (1) प्रत्येक निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करेगा, जो निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) की कार्यप्रणाली के मद्देनज़र साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का आकलन करने, उनकी पहचान करने और उन्हें कम करने तथा साइबर हमलों आदि से निपटने के लिए जिम्मेदार होगा ।

(2) मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ भी शामिल होंगी:

(क) उपयुक्त मानदंड निर्धारित करना और नियंत्रण लगाना;

(ख) निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के गवर्निंग बोर्ड द्वारा साइबर सुरक्षा और साइबर हमलों से निपटने के संबंध में मंजूर की गई नीति के अनुसार प्रक्रियाएँ निर्धारित करने और उन्हें अमल में लाने का निदेश देना; और

(ग) साइबर सुरक्षा की दिशा में कदम उठाना, जिसमें सूचना (इन्फॉर्मेशन) को सुरक्षित रखने के संबंध में नीतियाँ निर्धारित करना, उनकी समीक्षा करना और उन्हें अमल में लाना शामिल है।"

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./491/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/40, द्वारा 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 तत्पश्चात्,–

क. 4 जून 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/20, द्वारा

ख. 21 फरवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/04, द्वारा

ग. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

घ. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा

ङ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

च. 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/43, द्वारा

छ. 26 अक्तूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/53, द्वारा

ज. 23 फरवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/74, द्वारा

झ. 2 मार्च, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/125, द्वारा

ञ. 22 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/147, द्वारा

ट. 10 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/173, द्वारा

ठ. 26 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/200, द्वारा

ड. 28 नवम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दस्तावेजों को प्रमाणित करना) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/212, द्वारा

ढ. 2 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/213, द्वारा

ण. 6 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2025, फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/225, द्वारा

त. 10 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम, 2025, फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/228, द्वारा

थ. 30 अप्रैल, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/245, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st November, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/275.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 namely, —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the thirtieth day from the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, —

I. in regulation 24,

(1) in sub-regulation (1),

i. in clause (b), the word and symbol "and," shall be omitted;

ii in clause (c), the symbol "." shall be substituted with the word and symbols "; and,";

iii after clause (c), the words and symbols "(d) executive directors:" shall be inserted.

(2) in sub-regulation (7), after the words "managing director", the words "and executive directors" shall be inserted;

II in regulation 26,

(1) in the title, after the word "Appointment" and before the words "of managing director", the words and symbol ", role and responsibilities" shall be inserted;

(2) in clause (c) of sub-regulation (4), after first proviso, the following second proviso shall be inserted, namely, -

"Provided further that the managing director may, with the prior approval of the governing board of the depository, be appointed as:

a) non-executive director on the board of a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013;
b) non-executive director on the board of an unlisted government company not engaged in any commercial activity;
c) chairperson or member (non-executive capacity) of the governing board of an educational institution established by the Central Government, the State Government, a government company, or a statutory body; or
d) chairperson or member (non-executive capacity) of the governing board of a university established or incorporated by or under a Central Act or a State Act."

(3) after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted namely, -

"(8) The roles and responsibilities of the managing director shall include the following:

a) management of the whole of the affairs of the depository;
b) ensure that the depository complies with the provisions of all applicable acts, rules and regulations, circulars, guidelines or directions issued thereunder from time to time;

c) ensure that the functions under Vertical 1 and Vertical 2 of the depository, as provided in Fourth Schedule of these regulations, are performed in the interest of the securities market and are guided by public interest, without having any revenue-oriented objectives.

d) be responsible for the overall risk management of the depository; and

e) ensure that the depository has adequate infrastructure and systems in place for its efficient functioning at all points of time."

III after regulation 26 and before regulation 27, the following regulation shall be inserted namely, -

"**Appointment, role and responsibilities of executive director**

26A. (1) Every depository shall appoint two executive directors as key management personnel who shall head Vertical 1 and Vertical 2 respectively and the depository may, at its discretion, appoint an executive director to head Vertical 3, as referred to in Fourth Schedule of these regulations.

(2) The stature of executive directors shall be similar to that of the managing director.

(3) The process of appointment, renewal of appointment and termination of services of the executive directors shall be similar to that of the managing director as referred to in sub-regulations (1), (2), clauses (a) and (b) of (4), (5) and (6) of Regulation 26 of these regulations and subject to prior approval of the Board.

(4) The tenure and maximum age limit of the executive directors shall be similar to that of the managing director as referred to in sub-regulation (3) of Regulation 26 of these regulations.

(5) The executive director of a depository shall not serve on the board of any other company:

Provided that the executive director of a depository may, with the prior approval of the governing board of the depository, be appointed on the board of a subsidiary of a depository.

(6) The roles and responsibilities of executive directors of Vertical 1 and Vertical 2 shall include the following:

a) management of whole of the affairs of their respective verticals;

b) ensure that the functions under their respective verticals of the depository are operating in the interest of the securities market and are guided by public interest, without having any revenue oriented objectives;

c) the executive director of Vertical 1 shall be responsible to ensure that adequate infrastructure and systems are in place for efficient function of the depository; and

d) the executive director of Vertical 2 shall be responsible for the overall risk management of the depository."

IV after regulation 81A and before regulation 82, the following regulations shall be inserted, namely, -

"**Appointment, role and responsibilities of chief technology officer**

81B. (1) Every depository shall appoint a chief technology officer to oversee and manage technology-related system design, infrastructure, and operations.

(2) The role and responsibilities of the chief technology officer shall include the following:

(a) manage risks in all information technology related functions;

(b) formulate the information technology policy and the information technology risk management framework; and

(c) resolution and mitigation of observations arising from technology audits."

"**Appointment, role and responsibilities of chief information security officer**

81C. (1) Every depository shall appoint a chief information security officer to assess, identify, and mitigate cybersecurity risks associated with the functioning of depository and respond to cybersecurity incidents.

(2) The role and responsibilities of the chief information security officer shall include the following:

(a) establish appropriate standards and controls;

(b) direct the establishment and implementation of processes and procedures as per the cybersecurity and cyber resilience policy approved by the governing board of the depository; and

(c) cyber security initiatives including planning, developing, maintaining, reviewing and implementation of Information Security Policies.”

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./491/2025-26]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on October 3, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/402.
2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were subsequently amended on, –
   a. 4th June, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/20.
   b. 21st February, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/04.
   c. 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
   d. 5th May, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.
   e. 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
   f. 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2021vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/43.
   g. 26th October 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/53.
   h. 23rd February 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/74.
   i. 2nd March 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/125.
   j. 22nd August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/147.
   k. 10th May, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/173.
   l. 26th August, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/200.
   m. 28th November, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Attestation of Documents) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/212.
   n. 2nd December, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/213.
   o. 6th February, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/225.
   p. 10th February, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/228.
   q. 30th April, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/245.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.11.22 16:11:56 +05'30'